



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 151-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 24, 2023 (BHADRA 2, 1945 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

### Notification

The 24th August, 2023

**No. 12-HLA of 2023/151/13772.**— The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

**Bill No. 12-HLA of 2023**

### THE HARYANA GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2023

A

### BILL

*Further to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India as follows: -

1. (1) This Act may be called the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023.

Short title and commencement.

(2) The provisions of sections 2 to 27 shall come into force from such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint different dates for commencement of different provisions of this Act.

Amendment of section 2 of Haryana Act 19 of 2017.

**2.** In section 2 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter called the principal Act),—

- (a) after clause (80), the following clauses shall be inserted, namely:—
- ‘(80A) “online gaming” means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;
- (80B) “online money gaming” means online gaming in which players pay or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being in force;’;
- (b) after clause (102), the following clause shall be inserted, namely:—
- ‘(102A) “specified actionable claim” means the actionable claim involved in or by way of—
- (i) betting;
- (ii) casinos;
- (iii) gambling;
- (iv) horse racing;
- (v) lottery; or
- (vi) online money gaming;’;
- (c) in clause (105),—
- (i) for the sign “,” existing at the end, the sign “:” shall be substituted; and
- (ii) the following proviso shall be added, namely:—
- “Provided that a person who organises or arranges, directly or indirectly, supply of specified actionable claims, including a person who owns, operates or manages digital or electronic platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied by him or through him and whether consideration in money or money's worth, including virtual digital assets, for supply of such actionable claims is paid or conveyed to him or through him or placed at his disposal in any manner, and all the provisions of this Act shall apply to such supplier of specified actionable claims, as if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supply of such actionable claims;”;
- (d) after clause (117), the following clause shall be inserted, namely:—
- ‘(117A) “virtual digital asset” shall have the same meaning as assigned to it in clause (47A) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (Central Act 43 of 1961);’.

Amendment of section 10 of Haryana Act 19 of 2017.

- 3.** In section 10 of the principal Act,—
- (a) in clause (d) of sub-section (2), the words “goods or” shall be omitted; and
- (b) in clause (c) of sub-section (2A), the words “goods or” shall be omitted.

Amendment of section 16 of Haryana Act 19 of 2017.

- 4.** In sub-section (2) of section 16 of the principal Act,—
- (a) in the second proviso, for the words and sign “added to his output tax liability, along with interest thereon”, the words and figures “paid by him along with interest payable under section 50” shall be substituted; and
- (b) in the third proviso, after the words “made by him”, the words “to the supplier” shall be inserted.

5. In section 17 of the principal Act,—
- (a) in sub-section (3), in the Explanation, for the words and figure “except those specified in paragraph 5 of the said Schedule”, the following shall be substituted, namely:—
- “except,—
- (i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and
- (ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule.”; and
- (b) after clause (f) of sub-section (5), the following clause shall be inserted, namely:—
- “(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013);”.
6. For sub-section (2) of section 23 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017, namely:—
- “(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.”.
7. In section 24 of the principal Act,—
- (a) in clause (xi), the word “and” occurring at the end, shall be omitted; and
- (b) after clause (xi), the following clause shall be inserted, namely:—
- “(xia) every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India; and”.
8. For sub-section (1) of section 30 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—
- “(1) Subject to such conditions, as may be prescribed, any registered person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration in such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.”.
9. After sub-section (4) of section 37 of the principal Act, the following sub-section shall be added, namely:—
- “(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:
- Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details.”.

Amendment of section 17 of Haryana Act 19 of 2017.

Amendment of section 23 of Haryana Act 19 of 2017.

Amendment of section 24 of Haryana Act 19 of 2017.

Amendment of section 30 of Haryana Act 19 of 2017.

Amendment of section 37 of Haryana Act 19 of 2017.

Amendment of section 39 of Haryana Act 19 of 2017.

**10.** After sub-section (10) of section 39 of the principal Act, the following sub-section shall be added, namely:—

“(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return.”.

Amendment of section 44 of Haryana Act 19 of 2017.

**11.** Section 44 of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1) so re-numbered, the following sub-section shall be added, namely:—

“(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return.”.

Amendment of section 52 of Haryana Act 19 of 2017.

**12.** After sub-section (14) of section 52 of the principal Act, the following sub-section shall be added, namely:—

“(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement.”.

Amendment of section 54 of Haryana Act 19 of 2017.

**13.** In sub-section (6) of section 54 of the principal Act, the words and sign “excluding the amount of input tax credit provisionally accepted,” shall be omitted.

Amendment of section 56 of Haryana Act 19 of 2017.

**14.** In section 56 of the principal Act, for the words “from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax”, the words and sign “for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed” shall be substituted.

Amendment of section 62 of Haryana Act 19 of 2017.

**15.** In sub-section (2) of section 62 of the principal Act,—

- (a) for the words “thirty days”, the words “sixty days” shall be substituted;
- (b) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted; and
- (c) the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue.”.

- 16.** For section 109 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
- “109. Constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof.- Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.”.
- Substitution of section 109 of Haryana Act 19 of 2017.
- 17.** Section 110 of the principal Act shall be omitted.
- Omission of section 110 of Haryana Act 19 of 2017.
- 18.** Section 114 of the principal Act shall be omitted.
- Omission of section 114 of Haryana Act 19 of 2017.
- 19.** In section 117 of the principal Act,—
- (a) in sub-section (1), for the words “State Bench or Area Benches”, the words “State Benches” shall be substituted; and
- (b) in sub-section (5), in clauses (a) and (b), for the words “State Bench or Area Benches”, the words “State Benches” shall be substituted.
- Amendment of section 117 of Haryana Act 19 of 2017.
- 20.** In clause (a) of sub-section (1) of section 118 of the principal Act, for the words “National Bench or Regional Benches”, the words “Principal Bench” shall be substituted.
- Amendment of section 118 of Haryana Act 19 of 2017.
- 21.** In section 119 of the principal Act,—
- (a) for the words “National or Regional Benches”, the words “Principal Bench” shall be substituted; and
- (b) for the words “State Bench or Area Benches”, the words “State Benches” shall be substituted.
- Amendment of section 119 of Haryana Act 19 of 2017.
- 22.** After sub-section (1A) of section 122 of the principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely:—
- “(1B) Any electronic commerce operator who-
- (i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply;
- (ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or
- (iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act,
- shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher.”.
- Amendment of section 122 of Haryana Act 19 of 2017.
- 23.** In sub-section (1) of section 132 of the principal Act,—
- (a) clauses (g), (j) and (k) shall be omitted;
- (b) in clause (l), for the words, brackets and letters “clauses (a) to (k)”, the words, brackets and letters “clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)” shall be substituted;
- Amendment of section 132 of Haryana Act 19 of 2017.

- (c) in clause (iii), for the words “any other offence”, the words, brackets and letter “an offence specified in clause (b),” shall be substituted; and
- (d) in clause (iv), the words, brackets and letters “or clause (g) or clause (j)” shall be omitted.

Amendment of section 138 of Haryana Act 19 of 2017

**24.** In section 138 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (1), in the first proviso,—
  - (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
    - “(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of section 132;”;
  - (ii) clause (b) shall be omitted;
  - (iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—
    - “(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;”;
  - (iv) clause (e) shall be omitted; and
- (b) in sub-section (2), for the words and signs “ten thousand rupees or fifty percent of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty percent of the tax, whichever is higher”, the words and sign “twenty-five percent of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred percent of the tax involved” shall be substituted.

Insertion of section 158A of Haryana Act 19 of 2017.

**25.** After section 158 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

“158A. Consent based sharing of information furnished by taxable person.- (1) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems, as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed, namely:—

- (a) particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44;
- (b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68;
- (c) such other details, as may be prescribed.

(2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of—

- (a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1); and
- (b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (1), and under clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity information of the recipient,

in such form and manner as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return.”

- 26.** In Schedule III to the principal Act,—
- (a) in paragraph 6, for the words and sign “lottery, betting and gambling” the words “specified actionable claims” shall be substituted.
- (b) (i) paragraphs 7 and 8 and the Explanation 2 thereof (as inserted vide section 31 of the Haryana Act 25 of 2018) shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.
- (ii) no refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had clause (i) been in force at all material times.
- 27.** The amendments made under this Act shall be without prejudice to provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restricting or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

Amendment of Schedule III to Haryana Act 19 of 2017 and retrospective exemption to certain activities and transactions.

Transitory provision.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on *intra-State* supply of goods or services or both by the State Government.

2. It is proposed to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 on the basis of the recommendations made by the GST Council and on the lines of amendments carried out in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 by Finance Act, 2023 (Central Act 8 of 2023) and Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023 (Central Act 30 of 2023).

3. The proposed Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023, *inter alia*, provides for the following, namely:-

- (i) to amend second and third provisos to sub-section (2) of section 16 of the Act to align the said sub-section with the return filing system provided in the said Act;
- (ii) to amend sub-section (5) of section 17 of the Act so as to provide that input tax credit shall not be available in respect of goods or services or both received by a taxable person which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013;
- (iii) to insert a new sub-section (5) in section 37 of the Act so as to provide a time limit of three years upto which the details of outward supplies under sub-section (1) of the said section for a tax period can be furnished by a registered person. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the Council, to extend by notification, the said time limit for a registered person or a class of registered persons, subject to certain conditions and restrictions;
- (iv) to insert a new sub-section (11) in section 39 of the Act so as to provide a time limit of three years upto which the return for a tax period can be furnished by a registered person. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the council, to extend by notification, the said time limit for a registered person or a class of registered persons, subject to certain conditions and restrictions;
- (v) to insert a new sub-section (2) in section 44 of the Central Goods and Services Tax Act so as to provide a time limit of three years upto which the annual return under sub-section (1) of the said section for a financial year can be furnished by a registered person. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the Council, to extend by notification, the said time limit for a registered person or a class of registered persons, subject to certain conditions and restrictions;
- (vi) to amend section 56 of the Act so as to provide by rules the manner of computation of period of delay for calculation of interest on delayed refunds;
- (vii) to amend sub-section (2) of section 138 of the Act so as to rationalise the amount for compounding of various offences by reducing the minimum as well as maximum amount for compounding.
- (viii) to amend certain sections as well as schedule III of the Act so as to provide clarity regarding taxability of Casinos, Horse Racing and Online Gaming.

4. The Bill seeks to achieve the above objectives.

DUSHYANT CHAUTALA,  
Deputy Chief Minister, Haryana.

---

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the Introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh:  
The 24th August, 2023.

R. K. NANDAL,  
Secretary.



[प्राधिकृत अनुवाद]

## हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या-12 एच०एल०ए०

हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) धारा 2 से 27 के उपबन्ध ऐसी तिथि से लागू होंगे, जिसे सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के प्रारम्भ के लिए भिन्न-भिन्न तिथियां नियत कर सकती है।

2. हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 2 का संशोधन।

(क) खण्ड (80) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

(80क) "ऑनलाइन गेम खेलना" से अभिप्राय है, इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना और इसके अन्तर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है ;

(80ख) "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना" से अभिप्राय है, ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अन्तर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का भुगतान करता है या जमा करता है, जिसके अन्तर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं; ;

(ख) खण्ड (102) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(102क) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से अभिप्राय है-

- (i) दांव लगाने;
- (ii) कैसिनो;
- (iii) द्यूतक्रीड़ा;
- (iv) घुड़दौड़;
- (v) लाटरी; या
- (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलने,

में अन्तर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा';

(ग) खण्ड (105) में,-

- (i) अन्त में विद्यमान ";" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
- (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति का आयोजन या व्यवस्था करता है, जिसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अन्तर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से भुगतान या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं, और इस अधिनियम के सभी उपबन्ध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार को लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए दायी पूर्तिकार हो ;"; तथा

(घ) खण्ड (117) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(117क) "आभासी डिजिटल आस्ति" का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 2 के खंड (47क) में उसे दिया गया है;'

3. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—  
 (क) उप-धारा (2) के खण्ड (घ) में, "माल या" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा; तथा  
 (ख) उप-धारा (2क) के खण्ड (ग) में, "माल या" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 10 का संशोधन।
4. मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) में,—  
 (क) द्वितीय परन्तुक में, "को, उस पर ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा" शब्दों और चिहनों के स्थान पर, "ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में धारा 50 के अधीन भुगतानयोग्य ब्याज सहित उसके द्वारा भुगतान की जाएगी" शब्द, चिह्न और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा  
 (ख) तृतीय परन्तुक में, "उसके द्वारा" शब्दों के बाद, "प्रदायकर्ता को" शब्द रखे जाएंगे।
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 16 का संशोधन।
5. मूल अधिनियम की धारा 17 में,—  
 (क) उप-धारा (3) में, व्याख्या में, "सिवाय उनके जो उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट हैं" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
 "सिवाय,—  
 (i) उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों के मूल्य; तथा  
 (ii) ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों के मूल्य, जो उक्त अनुसूची के पैरा 8 के खण्ड (क) के संबंध में विहित किए जाएं।"; तथा  
 (ख) उप-धारा (5) के खण्ड (च) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—  
 "(चक) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए माल या सेवाएं या दोनों, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) की धारा 135 में निर्दिष्ट निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन अपनी बाध्यताओं से संबंधित क्रियाकलापों के लिए उपयोग की जाती हैं अथवा उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं;"।
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 17 का संशोधन।
6. मूल अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी और जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—  
 "(2) धारा 22 की उप-धारा (1) अथवा धारा 24 में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 23 का संशोधन।

- और निर्बन्धनों, जो इसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यक्षीन, व्यक्तियों का प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है।”।
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 24 का संशोधन।
- 7.** मूल अधिनियम की धारा 24 में,—
- (क) खण्ड (xi) में, अन्त में विद्यमान “और” शब्द का लोप कर दिया जाएगा; तथा
- (ख) खण्ड (xi) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—
- “(xi) भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ; और”।
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 30 का संशोधन।
- 8.** मूल अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “(1) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यक्षीन कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण किसी समुचित अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से रद्द किया गया है, ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों, जो विहित किए जाएं, के अध्यक्षीन ऐसे अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकता है।”।
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 37 का संशोधन।
- 9.** मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (4) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—
- “(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने हेतु उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद अनुमत नहीं किया जाएगा:
- परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों, जो इसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यक्षीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को किसी कर अवधि के लिए उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने हेतु, उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अनुमत कर सकती है।”।
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 39 का संशोधन।
- 10.** मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (10) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—
- “(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने हेतु उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद अनुमत नहीं किया जाएगा:
- परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों, जो इसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यक्षीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने हेतु, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अनुमत कर सकती है।”।

11. मूल अधिनियम की धारा 44 को उसकी उप-धारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 44 का संशोधन।
- “(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने हेतु उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद अनुमत नहीं किया जाएगा :
- परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, जो इसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यक्षीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उप-धारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने हेतु, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अनुमत कर सकती है।”।
12. मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (14) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 52 का संशोधन।
- “(15) प्रचालक को उप-धारा (4) के अधीन कोई विवरण प्रस्तुत करने हेतु उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद अनुमत नहीं किया जाएगा :
- परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यक्षीन किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग को उप-धारा (4) के अधीन कोई विवरण प्रस्तुत करने हेतु, उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अनुमत कर सकती है।”।
13. मूल अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (6) में, “जिसमें स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की राशि को छोड़कर,” चिह्न तथा शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 54 का संशोधन।
14. मूल अधिनियम की धारा 56 में, “उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् की तिथि से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तिथि तक” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तिथि से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तिथि पर्यन्त साठ दिन से अधिक की विलंब अवधि के लिए ऐसे प्रतिदाय के संबंध में, ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों, जो विहित किए जाएं, के अध्यक्षीन संगणित किया जाने वाला” शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 56 का संशोधन।
15. मूल अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (2) में, -
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 62 का संशोधन।
- (क) “तीस दिन” शब्दों के स्थान पर, “साठ दिन” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) अंत में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ग) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील के साठ दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह उक्त निर्धारण आदेश की तामील के साठ दिन से अधिक विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रूपये की अतिरिक्त विलंब फीस के भुगतान पर आगे साठ दिन की अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत कर सकता है तथा यदि वह ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करता है, तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा, किन्तु धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन ब्याज का भुगतान करने या धारा 47 के अधीन विलंब फीस का भुगतान करने का दायित्व बना रहेगा।”।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 109 का प्रतिस्थापन।

16. मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“109. अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन.- इस अध्याय के उपबंधों के अध्याधीन, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपील अधिकरण होगा।”।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 110 का लोप।

17. मूल अधिनियम की धारा 110 का लोप कर दिया जाएगा।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 114 का लोप।

18. मूल अधिनियम की धारा 114 का लोप कर दिया जाएगा।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 117 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 117 में,-

(क) उप-धारा (1) में, “राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों” शब्दों के स्थान पर, “राज्य न्यायपीठों” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ख) उप-धारा (5) में, खण्ड (क) तथा (ख) में, “राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों” शब्दों के स्थान पर, “राज्य न्यायपीठों” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 118 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 118 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में, “राष्ट्रीय न्यायपीठ या प्रांतीय न्यायपीठों” शब्दों के स्थान पर, “प्रधान न्यायपीठ” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

21. मूल अधिनियम की धारा 119 में,—
- (क) "राष्ट्रीय या प्रांतीय न्यायपीठों" शब्दों के स्थान पर, "प्रधान न्यायपीठ" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
- (ख) "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों" शब्दों के स्थान पर, "राज्य न्यायपीठों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 119 का संशोधन।
22. मूल अधिनियम की धारा 122 की उप-धारा (1क) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-
- (1ख) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक जो—
- (i) ऐसा प्रदाय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट—प्राप्त किसी व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय की अनुमति देता है;
- (ii) किसी व्यक्ति, जो ऐसा अंतर—राज्य प्रदाय करने के लिए पात्र नहीं है, द्वारा उसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों के किसी अंतर—राज्य प्रदाय की अनुमति देता है; या
- (iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट—प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा उसके माध्यम से प्रभावित मालों के किसी जावक प्रदाय के संबंध में धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में असफल रहता है,
- तो दस हजार रुपये, या अन्तर्वलित कर की राशि के समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, की शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा, यदि धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसा प्रदाय किया गया था।"।
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 122 का संशोधन।
23. मूल अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) में,—
- (क) खण्ड (छ), (ज) तथा (ट) का लोप कर दिया जाएगा;
- (ख) खण्ड (ठ) में, "खण्ड (क) से (ट)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "खण्ड (क) से (च) तथा खण्ड (ज) तथा (झ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ग) खण्ड (iii) में, "ऐसे मामलों में", शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अपराध के मामले में," शब्द, कोष्ठक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
- (घ) खण्ड (iv) में, "या खंड (छ) या खंड (ज)" शब्दों, कोष्ठकों तथा अक्षरों का लोप कर दिया जाएगा।
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 132 का संशोधन।

2017 के हरियाणा  
अधिनियम 19 की  
धारा 138 का  
संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 138 में,—

(क) उप-धारा (1) में, प्रथम परन्तुक में,—

(i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(क) कोई व्यक्ति, जिसे धारा 132 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) से (च), (ज), (झ) तथा (ठ) में विनिर्दिष्ट किन्हीं अपराधों के संबंध में एक बार प्रशमित होने के लिए अनुमत किया गया है;”;

(ii) खण्ड (ख) का लोप कर दिया जाएगा ;

(iii) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई अपराध करने वाला अभियुक्त है;”;

(iv) खण्ड (ङ) का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(ख) उप-धारा (2) में, “दस हजार रुपये से कम न हों या शामिल कर का पचास प्रतिशत, जो भी अधिक हो, और अधिकतम राशि, जो तीस हजार रुपये से कम से कम न हो या कर का एक सौ पचास प्रतिशत, जो भी अधिक हो,” शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, “अन्तर्वलित कर का पच्चीस प्रतिशत से कम न हो और अधिकतम राशि, जो अन्तर्वलित कर का एक सौ प्रतिशत से अनधिक हो,” शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2017 के हरियाणा  
अधिनियम 19 की  
धारा 158क का  
रखा जाना।

25. मूल अधिनियम की धारा 158 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

‘158क. कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का सहमति आधारित साझाकरण.— (1) धारा 133, 152 तथा 158 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित ब्यौरे, उप-धारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, और परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी अन्य पद्धतियाँ, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन सामान्य पोर्टल द्वारा साझे किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में या धारा 39 के अधीन या धारा 44 के अधीन दायर की गई विवरणी में प्रस्तुत किए गए विवरण;

(ख) बीजक तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे और धारा 68 के अधीन दस्तावेज जनित करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण;



(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं।

(2) उप-धारा (1) के अधीन ब्यौरे साझा करने के प्रयोजन हेतु ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में निम्नलिखित की सहमति प्राप्त की जाएगी—

(क) उप-धारा (1) के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरों के संबंध में, प्रदायकर्ता ; तथा

(ख) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन, और उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन प्रस्तुत किए गए विवरण के संबंध में, प्राप्तिकर्ता, केवल जहाँ ऐसे ब्यौरों में प्राप्तिकर्ता की पहचान सूचना शामिल हो।

(3) तत्समय लागू किसी विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई सूचना के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी दायित्व के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी और सुसंगत प्रदाय पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर भुगतान करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।”।

26. मूल अधिनियम की अनुसूची III में,—

(क) पैरा 6 में, “लाटरी, दांव और द्यूत” शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, “विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) (i) पैरा 7 और 8 तथा इनकी व्याख्या 2 (2018 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 31 द्वारा रखी गई) जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से इसमें रखी गई समझी जाएगी।

(ii) ऐसे सभी करों का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संगृहीत किए गए हैं, किन्तु जिन्हें इस प्रकार संगृहीत नहीं किया जाता, यदि खण्ड (i) सभी तात्विक समयों पर लागू होता।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की अनुसूची III का संशोधन तथा कतिपय क्रियाकलापों तथा संव्यवहारों हेतु भूतलक्षी प्रभाव से छूट।

27. इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बन्धित या विनियमित करने के उपबंध करने वाली तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

अस्थायी उपबन्ध।

### उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्य प्रदाय पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था।

2. जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर तथा वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 8) और केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 30) के द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों की तर्ज पर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है।

3. प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए प्रदान करता है, अर्थात् :-

- (i) उक्त अधिनियम में प्रदान की गई रिटर्न फाइलिंग प्रणाली को धारा 16 की उप-धारा (2) के साथ संरेखित करने के लिए अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) के द्वितीय और तृतीय परन्तुकों में संशोधन किया जाना;
- (ii) यह प्रावधान किया जा सके कि किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा, जिनका उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत अपने दायित्वों से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाता है या उपयोग करने के लिए आशयित है के लिए अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) में संशोधन किया जाना;
- (iii) किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक प्रदायों का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए तीन वर्ष तक की समय सीमा प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 37 में नई उप-धारा (5) का रखा जाना। इसमें, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार को अधिसूचना द्वारा, किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए उक्त समय सीमा को कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन बढ़ाने का अधिकार देने का प्रयास किया गया है ;
- (iv) पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 39 में एक नई उप-धारा (11) को रखा जाना ताकि कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने की तीन साल की समय सीमा प्रदान की जा सके। इसमें, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार को अधिसूचना द्वारा, किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए उक्त समय सीमा को कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन बढ़ाने का अधिकार देने का प्रयास किया गया है;
- (v) पंजीकृत व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44 में एक नई उप-धारा (2) को रखा जाना ताकि उक्त धारा की उप-धारा (1) के तहत एक वित्त वर्ष की वार्षिक रिटर्न भरने के लिए तीन साल की समय सीमा प्रदान की जा सके। इसमें, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार को अधिसूचना

द्वारा, किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए उक्त समय सीमा को कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन बढ़ाने का अधिकार देने का प्रयास किया गया है;

- (vi) अधिनियम की धारा 56 में संशोधन करना ताकि नियमों द्वारा विलंबित रिफंड पर ब्याज की गणना के लिए विलंब की अवधि की गणना का तरीका प्रदान किया जा सके;
  - (vii) अधिनियम की धारा 138 की उप-धारा (2) में संशोधन करना ताकि विभिन्न अपराधों के शमन के लिए न्यूनतम और अधिकतम राशि को कम करके राशि को तर्कसंगत बनाया जा सके;
  - (viii) कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग की कराधेयता के संबंध में स्पष्टता प्रदान करने के लिए अधिनियम की कुछ धाराओं के साथ-साथ अनुसूची III में संशोधन किया जाना।
4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

दुष्यन्त चौटाला,  
उप-मुख्यमंत्री,  
हरियाणा सरकार।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :  
दिनांक : 24 अगस्त, 2023.

आर० के० नांदल,  
सचिव।

**वित्तीय ज्ञापन**

प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 में राज्य की समेकित निधि से आवर्ती या गैर आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।

---